भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4811
दिनांक 21.08.2025 को उत्तर के लिए नियत

एमएसएमई क्षेत्र के अंतर्गत राजसहायता

4811. श्री दरोगा प्रसाद सरोज:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) लालगंज लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र और आजमगढ़ जिले सहित उत्तर प्रदेश में पिछले दो वर्षों के दौरान एमएसएमई क्षेत्र में राजसहायता प्राप्त करने वाले पात्र लाभार्थियों की संख्या कितनी है;

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान लालगंज लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र और आजमगढ़ जिले सहित उत्तर प्रदेश में बेरोजगार व्यक्तियों से प्राप्त आवेदनों की संख्या कितनी है और ऐसे कितने आवेदकों को इसका लाभ मिला है;

(ग) लालगंज लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र और आजमगढ़ जिले में पिछले पांच वर्षों के दौरान कितने बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया है और उनमें से कितने लोगों को सरकार द्वारा छूट या राजसहायता दी गई है;

(घ) क्या सरकार ने पिछले दो वर्षों के दौरान एमएसएमई क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किए थे और वह लक्ष्य किस प्रकार प्राप्त किए गए हैं; और

(ङ) उत्तर प्रदेश सहित देश भर में कितने पात्र लाभार्थियों को अभी तक राजसहायता प्राप्त नहीं हुई है और राजसहायता प्रदान नहीं करने के क्या कारण हैं?

उत्तर
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क): लालगंज लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र और आजमगढ़ जिले सहित उत्तर प्रदेश में पिछले दो वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अंतर्गत मार्जिन मनी (एमएम) सब्सिडी से सहायता-प्राप्त लाभार्थियों की संख्या का विवरण नीचे दिया गया है:

वित्तीय वर्ष	उत्तर प्रदेश	लालगंज लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र	आजमगढ़ जिला
2023-24	11,689	8	494
2024-25	5,518	4	259

(ख): पिछले दो वर्षों के दौरान लालगंज लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र और आजमगढ़ जिले सहित उत्तर प्रदेश में पीएमईजीपी के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों और सहायता प्राप्त सूक्ष्म उद्यमों की संख्या का विवरण नीचे दिया गया है:

वित्तीय वर्ष	पीएमईजीपी के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की संख्या			पीएमईजीपी के अंतर्गत सहायता प्राप्त सूक्ष्म उद्यमों की संख्या		
	उत्तर प्रदेश	लालगंज लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र	आजमगढ़ जिला	उत्तर प्रदेश	लालगंज लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र	आजमगढ़ जिला
2023-24	48,885	39	1,624	11,689	8	494
2024-25	20,514	18	448	5,518	4	259

(ग): पिछले पांच वर्षों अर्थात वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक के दौरान, लालगंज लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 40 सूक्ष्म उद्यमियों और आजमगढ़ जिले में 1620 सूक्ष्म उद्यमियों को पीएमईजीपी के अंतर्गत सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए मार्जिन मनी सब्सिडी के साथ सहायता प्रदान की गई, जिससे क्रमशः 320 व्यक्तियों और 1620 व्यक्तियों के लिए अनुमानित रोजगार सृजित हुआ।

(घ): पीएमईजीपी एक ऋण-संबद्ध केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है, इसलिए इसमें रोज़गार सृजन के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। पिछले दो वर्षों के दौरान पीएमईजीपी के अंतर्गत सृजित अनुमानित रोज़गार अवसरों की संख्या का विवरण नीचे दिया गया है:

वित्तीय वर्ष	अनुमानित रोजगार सृजन
2023-24	7,12,944
2024-25	4,77,664

(ङ): पीएमईजीपी के अंतर्गत, आवेदक द्वारा आवेदन जमा करने के बाद, कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा उसकी जाँच की जाती है और फिर उसे ऋण संबंधी निर्णय लेने हेतु बैंक को अग्रेषित किया जाता है। बैंक परियोजनाओं का मूल्यांकन करते हैं और प्रत्येक परियोजना की व्यवहार्यता के आधार पर अपना ऋण संबंधी निर्णय लेते हैं। इसलिए, ऋण की अंतिम संस्वीकृति और वितरण संबंधित बैंक के स्तर पर किया जाता है। सरकार उन सफल लाभार्थियों को मार्जिन मनी (एमएम) सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिनकी परियोजनाओं को पीएमईजीपी के अंतर्गत निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन और निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों द्वारा विधिवत रूप से संस्वीकृत किया गया है।

*****